



## वदियुत क्षेत्र की डसिकॉम कंपनयिँ और RDSS

यह एडिटरियल 07/02/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Plugging Power Reforms" लेख पर आधारित है। इसमें बजिली वतिरण कंपनयिँ की चुनौतयिँ और पुर्नोत्थान वतिरण क्षेत्र सुधार योजना (RDSS) के संबंध में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

भारत की बजिली आपूर्ति शृंखला में वतिरण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है, लेकिन वही संभवतः सबसे कमजोर कड़ी भी है। भारत में बजिली क्षेत्र की वतिरण कंपनयिँ AT&C हानयिँ, पर्याप्त नविश की कमी और मीटरगि संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं।

पुर्नोत्थान वतिरण क्षेत्र सुधार योजना (Revamped Distribution Sector Reform Scheme- RDSS) विशेष रूप से वतिरण कंपनयिँ की परिचालन कमयिँ और वतितीय बाधाओं को दूर करने के लिये शुरू की गई थी, लेकिन यह योजना स्वयं ही कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है।

RDSS द्वारा पेश भिनिन अवसरों का लाभ उठाने के लिये राज्यों को अपनी कार्ययोजनाओं में नविश को प्राथमिकता देने के मामले में लचीलेपन की आवश्यकता पर बल देना चाहिये। इस प्रयास के साथ-साथ त्वरति लेकिन सुवचिरति कार्यान्वयन की दशा में पूरण प्रतबिद्धताओं की भी आवश्यकता है।

### बजिली क्षेत्र की वतिरण कंपनयिँ

#### बजिली वतिरण कंपनयिँ (DISCOMs) के समक्ष वदियमान चुनौतयिँ

- वतिरण कंपनयिँ को कुल तकनीकी एवं वाणजियिक (Aggregate Technical and Commercial- AT&C) हानयिँ उठानी पड़ती है।
  - तकनीकी हानि:** यह पारेषण और वतिरण प्रणालयिँ में बजिली के प्रवाह के कारण होती है।
  - व्यावसायिक हानि:** यह बजिली की चोरी, मीटरगि की कमी आदिके कारण होती है।
- पछिले दशक में ग्रामीण नेटवर्क में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नविश कया गया है, हालाँकि वास्तविक नविश योजना से बहुत कम रहा है।
- इसके अलावा, इन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर और सब-स्टेशन 250 या 500 वाट की न्यूनतम मांग की पूर्ति के लिये अभिकल्पित थे जहाँ माना गया था कि केवल रोशनी, पंखे और टीवी के लिये बजिली की खपत होगी, न कि रेफ्रिजरेटर और मक्सर जैसे उपकरणों के लिये।
- बजिली की बकिरी का लगभग 25% अत्यधिक सब्सिडीयुक्त है। कृषि उपभोक्ताओं को भी अनयिमति एवं खराब गुणवत्ता की आपूर्ति प्राप्त होती है।
- प्रयासों के बावजूद उपभोक्ता और फीडर के स्तर पर बनि मीटर वाले उपभोक्ताओं और खराब मीटरों की समस्या बनी हुई है।
  - मीटरों के बनि सटीक ऊर्जा लेखांकन और हानि की नगिरानी एक चुनौती है।

#### बजिली वतिरण कंपनयिँ (DISCOMs) के लिये शुरू की गई पहलें

- जुलाई 2021 में शुरू की गई पुर्नोत्थान वतिरण क्षेत्र सुधार योजना (RDSS) बजिली वतिरण नेटवर्क नविश की दशा में केंद्र सरकार का नवीनतम अनुदान-आधारित कार्यक्रम है।
- इससे पहले [त्वरति बजिली विकास कार्यक्रम](#) (शहरी क्षेत्र हानि में कमी लाने हेतु योजना), [पीएम सौभाग्य](#) (ग्रामीण कनेक्शन और नेटवर्क वसतिार केंद्रित योजना), [दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना](#) (DDUGJY) और [उज्ज्वल डसिकॉम एशयोरेंस योजना](#) (UDAY/उदय) जैसी योजनाओं ने भारत के बजिली क्षेत्र की वतिरण कंपनयिँ की पहुँच बढ़ाने और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

#### पुर्नोत्थान वतिरण क्षेत्र सुधार योजना (RDSS)

- यह वतिरण कंपनयिँ (नजि क्षेत्र के डसिकॉम को छोड़कर) की परिचालन क्षमता और वतितीय स्थरिता में सुधार लाने पर लक्षित है।
  - यह वतिरण कंपनयिँ की आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये सशरत वतितीय सहायता प्रदान करेगा।
- परदियय का आधा भाग बेहतर फीडर और ट्रांसफार्मर मीटरगि एवं प्री-पेड स्मार्ट कंज्यूमर मीटरगि के लिये रखा गया है। शेष आधा भाग, जसिमें से 60% केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा वतितपोषित कया जाएगा, बजिली हानि में कमी लेन और नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खर्च कया जाएगा।

- यह एक समग्र योजना है जिसमें सभी मौजूदा बजिली क्षेत्र सुधार योजनाओं—एकीकृत बजिली विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना का वलिय किया जाएगा।
- ग्रामीण वदियुतीकरण नगिम (Rural Electrification Corporation) और वदियुत वतित नगिम (Power Finance Corporation) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसियाँ हैं।

## RDSS से संबद्ध समस्याएँ

- RDSS ने जटिल प्रक्रियाओं और फंड वतितरण की शर्तों जैसी कई डज़ाइन संबंधी समस्याएँ पूर्ववर्ती कार्यक्रमों से वरिसत में पाई हैं।
  - पछिली योजनाओं में आवंटित कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के अनुदान में से मात्र 60% का ही वतितरण किया गया था।
- राज्यों में सार्वजनिक समीक्षा और नयामक नरीक्षण की कमी एक और समस्या है। योजना के डज़ाइन का नरिदेशात्मक दृष्टिकोण प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
  - यह योजना तंत्र को सुदृढ़ करने से अधिक ज़ोर नुकसान में कमी लाने हेतु नविश पर देती है।
  - जबकि उच्च हानि आमतौर पर नरितर खराब गुणवत्तापूर्ण सेवा से जुड़ी होती है, जो स्वयं तंत्र को मज़बूत करने में अपर्याप्त नविश से प्रभावित होती है।
- RDSS सार्वभौमिक प्रीपेड मीटरगि का प्रावधान रखता है लेकिन पोस्ट-पेड वकिल्प कई संदर्भों में अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

## आगे की राह

- **ग्रामीण नेटवर्क को मज़बूत करना:** बढ़ती मांग की पूर्तके लिये ग्रामीण नेटवर्क को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है। आपूर्तके घंटों में वृद्धि, उपकरण उपयोग और ग्रामीण उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्तके लिये अधिक नेटवर्क नविश की आवश्यकता होगी।
  - इसके बनि बजिली कटौती का जोखमि बना रहेगा। RDSS तंत्र की सशक्तिकरण योजनाओं को इस चुनौती पर केंद्रित होना चाहिये।
- **कृषिउपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना:** पीएम-कुसुम योजना के तहत मेगावाट सकेल सौर संयंत्र—जो समर्पति कृषि फीडरों को प्रत्यक्ष रूप से नरिबाध आठ घंटे बजिली प्रदान कर सकते हैं, स्थापित कर किसानों की बड़ी संख्या को दिन के समय, कम लागतपूर्ण आपूर्ति प्रदान की जा सकती है।
  - यह किसानों की आश्वस्त आपूर्ति की मांग को पूरा करेगा और डसिकॉम की लागत एवं सबसडि आवश्यकताओं को लगभग आधा कर देगा।
  - RDSS फीडर सोलराइजेशन में तेज़ी लाने हेतु समर्पति कृषि फीडरों के लिये नविश और अनुदान को प्राथमिकता देता है। यह अनुदान सहायता वशिवसनीय आपूर्ति प्रदान कर सकती है और सबसडि आवश्यकताओं को कम कर सकती है।
- **वतितरण फीडरों की स्वचालित मीटरगि:** वतितरण कंपनियों नुकसान में कमी दखाने के लिये प्रायः मीटर रहति उपभोग का अति-आकलन कर नुकसानों का अल्प-आकलन करती हैं।
  - सही परदृश्य के लिये सभी फीडरों को ऐसे मीटरों से सुसज्जति किया जाना चाहिये जो मानवीय हस्तक्षेप के बनि रीडगि को संप्रेषति करने में सक्षम हों। राज्यों को इसके लिये स्वचालित मीटर रीडगि पर RDSS के ज़ोर का लाभ उठाना चाहिये।
- **राज्यों की भूमिका:** राज्यों को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं की पहचान करनी चाहिये और मीटरगि के लिये उपयुक्त रणनीति अपनानी चाहिये। उन्हें लागतों की तुलना में लाभों का आकलन करने के लिये रूपरेखाएँ वकिसति करनी चाहिये।
  - अपनी कार्ययोजनाओं में राज्यों को लचीलेपन की आवश्यकता पर ज़ोर देना चाहिये और वतितरण कंपनियों को प्रीपेड एवं पोस्टपेड मीटरगि के बीच एक सूचित वकिल्प चुनने की अनुमति देनी चाहिये।
  - इसके साथ ही, राज्य नयामक को स्मार्ट मीटर के कारण लागत में कमी और परदर्शन में सुधार का मूल्यांकन करने और ऐसे नविशों के कारण उपभोक्ताओं को अनुचित टैरिफि प्रभावों से बचाने के लिये एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिये।
  - केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी नगिरानी, ट्रैकगि और फंड वतितरण व्यवस्था के मामले में पर्याप्त लचीला होना चाहिये।

**अभ्यास प्रश्न:** बजिली वतितरण कंपनियों (DISCOMs) के समक्ष वदियमान समस्याओं की चर्चा कीजिये और वचिार कीजिये कि पुनोत्थान वतितरण क्षेत्र सुधार योजना (RDSS) में संशोधन किस प्रकार इसकी वर्तमान स्थिति में सुधार कर सकते हैं।